# फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

तारीख 11 - 11/24

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 06/6/24 | प्रार्थी पक्ष उपस्थित। वकील उपस्थित हुए। वकील वादी का वाद विधि से अर्जित होने एवं वाद कारण के अभाव में प्रोबेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। ऐसे में प्रार्थना पत्र आदेश 8 को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 8 को वाद खारिज होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी पर्सनल से वाद हेतुक [illegible] हेतुक [illegible] दायित्व [illegible] है। नियत आज दिनांक 06/06/2024 को सुबह 10 बजे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। | |